

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

नामी ब्राह्मि

विपक्षी

लक्ष्मण

कदमा

ज-पत्र

पत्रावली संख्या

57/22

सन

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई

27.1.25

पत्रावली पेग हुई। जर्दी-मधिकार अनुपस्थिति
 न्यायालय द्वारा कक-कककर हुई वार आवेजे लगभग
 बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ है। त्रिपते जर्दी
 है कि जर्दी अपने ज.पत्र के जंभीर नहीं है। प्रकरण का
 मूल वाद भी 09 R8 में खारिज हो चुका है। त्रिपते अब
 इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः जर्दीन पत्र 09 R8 के तहत अदम हाजती अदम
 पेशी में खारिज किया जाता है। निर्णय सेरेडजलाल कुनाका
 गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नाम्बर से कम हो।



(रिया सखी)
 उपखण्ड अधिकारी
 गिर्वा, उदयपुर